



जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026

कानूनों को सरल बनाना, विश्वास को मजबूत करना

04 अप्रैल 2026

मुख्य बिंदु

- जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026 के अंतर्गत 23 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कुल 784 प्रावधान शामिल हैं।
- यह मामूली प्रक्रियात्मक गलतियों के लिए आपराधिक दंड को हटा देता है और उनकी जगह सिविल सज़ा या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाता है।
- यह विधेयक 'ईज ऑफ लिविंग' को बेहतर बनाने के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तुत करता है, जिनमें मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 के अंतर्गत सुधार शामिल हैं।
- यह विधेयक एमएसएमई और अन्य व्यवसायों के लिए अनुपालन बोझ को कम करता है, जिसमें दंड लगाने से पहले परामर्श नोटिस और चेतावनी जैसी श्रेणीबद्ध प्रवर्तन व्यवस्था लागू की गई है।

परिचय: अविश्वास से आत्मविश्वास तक की यात्रा

कई वर्षों तक भारत में ऐसे कई कानून रहे, जिनमें छोटे-छोटे प्रक्रियात्मक त्रुटियों को भी आपराधिक अपराध माना जाता था। समय पर फाइलिंग न करना, फॉर्म भरने में त्रुटि, या मामूली कागजी गलती जैसी बातों पर भी नागरिकों और व्यवसायों को आपराधिक दंड, यहाँ तक कि कारावास का सामना करना पड़ सकता था। इन प्रावधानों में से अनेक पुराने नियामक ढांचे से जुड़े हुए थे। कानूनों को अधिक संतुलित और व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने ऐसे प्रावधानों की समीक्षा की प्रक्रिया


शुरू की। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 था, जिसके माध्यम से कई केंद्रीय कानूनों में निहित अनेक छोटे अपराधों के लिए आपराधिक दंड को हटा दिया।

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026 इस सुधार प्रयास को जारी रखता है। यह मामूली उल्लंघनों के अपराधीकरण को और कम करने और उन्हें अधिक आनुपातिक नागरिक दंड और प्रशासनिक तंत्र के साथ बदलने का प्रयास करता है।

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रमुख स्तंभ

चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित यह विधेयक ऐसा नियामक वातावरण तैयार करने का लक्ष्य रखता है, जो अनुपालन को प्रोत्साहित करे तथा कानून के साथ नागरिकों और व्यवसायों के दैनिक संवाद को अधिक सरल और सहज बनाए।

- **सजा से पहले चेतावनी:** पहली बार और मामूली चूक को तत्काल दंड के बजाय चेतावनियों के माध्यम से संबोधित किया जाता है, जिससे नागरिकों और व्यवसायों को अनुपालन करने का उचित अवसर मिलता है।
- **अनुपातिक दंड:** उल्लंघन की गंभीरता के अनुसार दंड निर्धारित किया जाएगा, जिससे निष्पक्ष, संतुलित और न्यायसंगत प्रवर्तन सुनिश्चित हो सके।
- **तीव्र और न्यायसंगत समाधान:** समर्पित निपटान अधिकारी और अपीलिय प्राधिकरण तेज़ और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करते हैं, साथ ही अदालतों पर बोझ को भी कम करते हैं।
- **गतिशील दंड ढांचा:** दंडों की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी, जिससे प्रवर्तन प्रभावी, प्रासंगिक और समय के साथ उत्तरदायी बना रहे।



जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026 कठोर दंडों को अधिक संतुलित और मानवीय ढांचे के साथ बदलकर कानूनी परिदृश्य को नया रूप देता है। यह अत्यधिक अपराधीकरण से दूर एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक है, सैकड़ों जुर्माने और कारावास के खंडों को नागरिक दंड में परिवर्तित करता है और कई को पूरी तरह से हटा देता है। जेल की अवधि को कम करके और अपराधों के शमन को सक्षम करके, विधेयक सजा पर अनुपालन को बढ़ावा देता है। यह अपराधों की सीमा को सीमित करता है और कारावास के प्रावधानों को तर्कसंगत बनाता है, यह सुनिश्चित करता है कि मामूली या प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के अब कठोर परिणाम लागू नहीं होंगे।

JAN VISHWAS

(Amendment of Provisions) Bill, 2026



Delivering

Ease of Living & Ease of Doing Business
for Every Citizen

317 provisions Fine converted into civil penalty

158 provisions Fine removed entirely

113 provisions Jail & fine converted into civil penalty

57 provisions Jail & fine removed

63 provisions Warning/notice for first-time default

17 provisions Jail term reduced

17 provisions Compounding of offences introduced

29 provisions Imprisonment removed

2 provisions Imprisonment converted into
civil penalty

1 provision Nature of imprisonment rationalised

6 provisions Scope of offence limited

Criminal provisions replaced with
smarter, citizen-friendly alternatives


साथ में, ये परिवर्तन मामूली या प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के लिए आपराधिक प्रतिबंधों को अधिक व्यावहारिक, नागरिक-अनुकूल विकल्पों के साथ प्रतिस्थापित करते हैं, जो जीवन यापन में आसानी और व्यापार करने में आसानी दोनों में सुधार के उद्देश्य को मजबूत करते हैं।

विधायी यात्रा: विचार-विमर्श और सर्वसम्मति पर आधारित सुधार

सुधार पहल की शुरुआत जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 के निर्माण से हुई, जिसने 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन किया और 183 प्रावधानों को आपराधिक अपराध से हटाकर कारावास की सजा की जगह मौद्रिक दंड और अन्य प्रशासनिक प्रवर्तन तंत्र लागू किए। यह कई कानूनों में मामूली और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के लिए आपराधिक परिणामों को व्यवस्थित रूप से हटाने का पहला समेकित विधायी प्रयास किया।

इस पहल को आगे बढ़ाते हुए, सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रशासित केंद्रीय कानूनों में निहित आपराधिक प्रावधानों की व्यापक समीक्षा की। सुधारों के इस अगले चरण के अंतर्गत, जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 को 18 अगस्त 2025 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक 10 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 16 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव करता है, जिसमें कुल 355 प्रावधान शामिल हैं।

विधेयक के प्रस्तुति के बाद इसे विस्तृत समीक्षा के लिए संसद की एक चयन समिति के पास भेजा गया। समिति ने 49 बैठकें आयोजित कीं और 13 मार्च 2026 को अपनी रिपोर्ट लोक सभा को सौंपी, जिसमें प्रस्तावित सुधारों के और अधिक परिष्कार और विस्तार की सिफारिश की गई। समिति ने 288 प्रावधानों के अलावा अतिरिक्त 62 अधिनियमों में भी अपराधमुक्ति के लिए संशोधन की समीक्षा और प्रस्ताव पेश किए। संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ सिफारिशों और परामर्श के आधार पर, व्यापार करने में आसानी और जीवन को आसान बनाने को बढ़ावा देने के लिए सुधारों के दायरे का और विस्तार किया गया था। **जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026** के रूप में प्रस्तुत संशोधित कानून, 23 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव करता है, जिसमें कुल **784 प्रावधान** शामिल हैं, जिनमें गैर-अपराधीकरण के लिए प्रस्तावित **717 प्रावधान** और जीवन को आसान बनाने के उद्देश्य से **67 प्रावधान** शामिल हैं।



नागरिक-केंद्रित सुधार: आम आदमी के लिए लाभ

जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) बिल, 2026 में कई सुधार किए गए हैं, जिनसे आम नागरिकों को सीधे फ़ायदा होगा, यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि रोज़मर्रा की छोटी-मोटी गलतियों की वजह से आपराधिक मुकदमा न चलाया जाए।

उदाहरण के लिए, रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत, किसी अन्य यात्री के लिए आरक्षित बर्थ खाली करने से इनकार करना आपराधिक जुर्माने के दायरे में आता था। इसे अब ₹1,000 तक के नागरिक दंड में परिवर्तित किया गया है, जिससे ऐसे विवादों को आपराधिक कार्यवाही के बजाय प्रशासनिक रूप से निपटाया जा सके।

- **कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 के अंतर्गत** , कोर्ट फीस स्टैम्प की अनधिकृत बिक्री या पहले किसी भी नियम का पालन न करने पर जुर्माने के साथ छह महीने तक की कैद का प्रावधान था। इस सुधार के अंतर्गत गैर-धोखाधड़ी वाले कार्यों के लिए जेल की सजा को हटाकर केवल मौद्रिक दंड लागू किया गया है।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स अधिनियम, 2010 के तहत पहले छोटी कमियों के लिए क्लीनिकों पर आपराधिक कार्रवाई की जा सकती थी, जिन्हें आसानी से ठीक किया जा सकता था। इस सुधार के तहत इसे अधिकतम ₹10,000 के नागरिक दंड में बदला गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बिना आपराधिक आरोपों के इन कमियों को सुधार सकेंगे।
- कोलकाता मेट्रो रेलवे अधिनियम, 1985 के तहत पहले मेट्रो डिब्बे या अंडरग्राउंड स्टेशन में धूम्रपान करते हुए पकड़े जाने वाले यात्री पर आपराधिक कार्रवाई की जा सकती थी। इस सुधार के अंतर्गत इस उल्लंघन को ₹2,000 के नागरिक दंड में परिवर्तित किया गया है, जिससे सार्वजनिक स्थल पर मामूली चूक पर आपराधिक मामला दर्ज नहीं होगा।

इस तरह के सुधारों के माध्यम से, विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि रोजमर्रा की स्थितियों में नियमित या मामूली गलतियों से आपराधिक कार्यवाही न हो, जिससे आम नागरिकों के लिए कानूनी ढांचा सरल और निष्पक्ष हो जाए।

जन विश्वास विधेयक के अंतर्गत ईज ऑफ लिविंग प्रावधान



कई कानूनों में आपराधिक प्रावधानों को कम करने के अलावा, जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026 कई उपायों को पेश करता है जो नियामक आवश्यकताओं को सरल बनाते हैं और नागरिकों और सार्वजनिक प्राधिकरणों के बीच रोजमर्रा की बातचीत में सुधार करते हैं।



सार्वजनिक जल का अवैध उपयोग अब एक नागरिक दंड है, आपराधिक जुर्माना नहीं (एनडीएमसी अधिनियम, 1994 - धारा 295)

पहले, निषेध का उल्लंघन करते हुए कुओं या टैंकों से पानी निकालने या उपयोग करने पर आपराधिक जुर्माना लगता था। यह सुधार इसे ₹1,000 के निश्चित नागरिक दंड में बदल दिया गया है, जो सार्वजनिक जल के दुरुपयोग के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करता है, जबकि मामूली नगरपालिका उल्लंघनों के लिए आपराधिक कार्यवाही समाप्त हो जाएगी।

ड्राइविंग लाइसेंस समाप्ति के बाद 30 दिनों के लिए वैध - कोई तत्काल जुर्माना नहीं (मोटर वाहन अधिनियम, 1988)

पहले, लाइसेंस में केवल एक दिन की देरी भी ड्राइवर को तकनीकी रूप से अनुपालनहीन बना देती थी। इस सुधार के तहत अब 30 दिन की छूट अवधि प्रदान की गई है, जिसके दौरान लाइसेंस वैध रहेगा, जिससे सामान्य ड्राइवर अचानक दंड से सुरक्षित रहेंगे और नवीनीकरण के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।

एनडीएमसी संपत्ति कर में बदलाव ने दशकों पुराने भ्रम को समाप्त किया: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994

एनडीएमसी क्षेत्र के निवासियों को एक असंगत प्रणाली का सामना करना पड़ा, जहां 5% संपत्तियों पर अभी भी पुरानी दर योग्य-मूल्य पद्धति के तहत कर लगाया गया था, जबकि 95% ने आधुनिक इकाई-क्षेत्र पद्धति का पालन किया। यह सुधार सभी परिवारों के लिए निष्पक्षता, पूर्वानुमेयता और जीवन की बेहतर सुगमता सुनिश्चित करते हुए पारदर्शी इकाई क्षेत्र पद्धति को अपनाकर कराधान को मानकीकृत करता है।

दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजे की मांग करने के लिए अधिक समय मिलता है (मोटर वाहन अधिनियम, 1988 - धारा 166)

मोटर दुर्घटना पीड़ित जो प्रारंभिक फाइलिंग समय सीमा को पूरा करने में असमर्थ हैं, वे अब पर्याप्त कारण दिखाने के अध्यक्षीन, निर्धारित अवधि से बारह महीने तक दावा न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। यह सुधार स्वीकार करता है कि परिवार, जो अक्सर आघात, चिकित्सा उपचार, विकलांगता, या वित्तीय कठिनाई से निपटते हैं, तुरंत कार्य करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, और यह सुनिश्चित करते हैं कि वे देरी के कारण मुआवजे के अपने अधिकार को न खोएं।

रात में बाहर रहना अब संदेह का अपराध नहीं है (दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 - धारा 102 (सी))

पहले, सूरज डूबने से लेकर सूरज उगने तक किसी घर, बिल्डिंग या गाड़ी में बिना किसी "संतोषजनक स्पष्टीकरण" के मौजूद रहने पर तीन महीने तक की जेल हो सकती थी। यह प्रावधान एक औपनिवेशिक युग, संदेह-आधारित दृष्टिकोण को दर्शाता है जो सामान्य आंदोलन को संभावित आपराधिक मानता है। सुधार इस अपराध को पूरी तरह से समाप्त कर देता है, कानून को आधुनिक सिद्धांतों के साथ जोड़ता है। भारतीय न्याय संहिता और समकालीन पुलिसिंग मानकों के तहत, संदेह की अस्पष्ट धारणाओं के बजाय स्वतंत्रता, इरादे और साक्ष्य पर अधिक जोर दिया जाता है। नतीजतन, नागरिकों को अब रात में सार्वजनिक या निजी स्थानों पर उपस्थित होने के लिए आपराधिक दायित्व के संपर्क में नहीं रखा जाता है।

टिकट से संबंधित उल्लंघन अब प्रशासनिक होंगे, आपराधिक नहीं: मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (धारा 178)

इससे पहले, बिना टिकट के यात्रा करने या टिकट दिखाने से इनकार करने पर 500 रुपये तक का आपराधिक जुर्माना लग सकता था। सुधार इन अपराधों को नागरिक उल्लंघन के रूप में पुनर्वर्गीकृत करता है, जिसमें ₹500 तक का जुर्माना लगाया गया है, नियमित कम्यूटर चूक को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है और तेजी से, अधिक नागरिक-अनुकूल प्रवर्तन को सक्षम किया गया है।

साथ में, ये सुधार नागरिकों के लिए नियामक प्रणालियों को सरल और अधिक व्यावहारिक बनाते हैं, जबकि यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रवर्तन प्रभावी और आनुपातिक बना रहे।

जन विश्वास विधेयक के तहत व्यवसाय करने में आसानी संबंधी प्रावधान

नागरिकों के दैनिक जीवन पर प्रभाव डालने के अलावा, जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026 व्यवसायों के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए कई सुधार भी पेश करता है।

आपराधिक दंड को सिविल दंड से बदलना

विधेयक कारावास के प्रावधानों को नागरिक दंड के साथ प्रतिस्थापित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यवसायों को मामूली अनुपालन अंतराल के लिए आपराधिक अभियोजन के संपर्क में नहीं लाया जाता है।

उदाहरण के लिए, **केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948** के तहत, गलत जानकारी प्रस्तुत करने या पहले रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में विफल रहने पर कारावास की संभावना होती है। संशोधन पहले उल्लंघन के लिए चेतावनी और बार-बार उल्लंघन के लिए मौद्रिक दंड पेश करता है। यह प्रावधान छोटे रेशम उत्पादन व्यवसायों को प्रक्रियात्मक खामियों को ठीक करने का अवसर देकर एमएसएमई को भी लाभान्वित करता है।

चरणबद्ध प्रवर्तन तंत्र की पेशकश

कई कानूनों में, विधेयक प्रवर्तन के लिए एक श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण पेश करता है, जिससे व्यवसायों को दंड का सामना करने से पहले गलतियों को सुधारने की अनुमति मिलती है।

चाय अधिनियम, 1953 के तहत, रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता या गलत रिटर्न देने पर पहले जुर्माना लगाया जाता था। संशोधित ढांचा पहले उल्लंघन के लिए चेतावनी और केवल बाद के उल्लंघनों के लिए जुर्माना देने का प्रावधान है।

JAN VISHWAS
(Amendment of Provisions) Bill, 2026



Delivering
Ease of Doing Business
for India's Growth Engines

Tea Act, 1953
Before: False returns or failure to furnish returns attracted a fine up to ₹1,000
Now: Warning for first instance, penalty up to ₹1 lakh for subsequent contraventions

Copyright Act, 1957
Before: Errors in Copyright Register record led to imprisonment
Now: Provision removed

Removing outdated laws
Building future-ready Bharat

इसी तरह, कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत, पहले कॉपीराइट रजिस्टर में गलत प्रविष्टि करने पर एक वर्ष तक के कारावास की संभावना थी। सुधार में इस प्रावधान को हटा दिया है, यह सुनिश्चित करता है कि लेखकों, कलाकारों और रचनाकारों को प्रशासनिक या कागजी कार्रवाई त्रुटियों के लिए अपराधिक दायित्व के संपर्क में नहीं लाया जाता है।

निर्यात और व्यापार क्षेत्रों के लिए अनुपालन को सरल बनाना

निर्यातकों पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए व्यापार और निर्यात को नियंत्रित करने वाले कानूनों में भी सुधार किए गए हैं।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत, वापसी प्रस्तुत करने में विफलता जैसे प्रक्रियात्मक अपराधों में अब तत्काल दंडात्मक कार्रवाई के बजाय चेतावनी और दंड ढांचे का पालन किया जाएगा। इससे निर्यातकों को वास्तविक गलतियों को सुधारने का समय मिल जाएगा।

पुराने या अनावश्यक प्रावधानों को हटाना

कुछ प्रावधान जो पुराने हो गए थे या अनावश्यक अनुपालन बोझ लगाए गए थे, उन्हें पूरी तरह से हटा दिया गया है।

उदाहरण के लिए, **Coir Industry Act, 1953**, पुराने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत बिना लाइसेंस के कॉयर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने पर पहले जुर्माना लगता था। इस नियम को हटा दिया गया है, जिससे पुरानी कम्प्लायंस की ज़रूरत खत्म हो गई है, जिससे छोटे कॉयर एमएसएमई निर्यातकों को और लाभ होगा। इन उपायों के माध्यम से, विधेयक एक नियामक वातावरण बनाने का प्रयास करता है जो अधिक पूर्वानुमानित, व्यावहारिक और व्यावसायिक गतिविधि का समर्थन करता है, जबकि यह सुनिश्चित करता है कि गंभीर उल्लंघनों पर उचित दंड जारी रहे।

जन विश्वास विधेयक के तहत एमएसएमई के लिए लाभ

जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2026 कई सुधार पेश करता है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए अनुपालन बोझ को कम करते हैं। यह विधेयक छोटे व्यवसायों को तत्काल दंडात्मक कार्रवाई का सामना किए बिना गलतियों को सुधारने का अवसर प्रदान करता है।

- **कानूनी मापन अधिनियम, 2009** के तहत पहले आवश्यक रिकॉर्ड न रखने या प्रस्तुत न करने पर तुरंत दंड लगाया जाता था। इस संशोधन के तहत पहली चूक पर सुधार नोटिस (Improvement

Notice) जारी किया जाएगा, जिससे एमएसएमई आयातकों को दंड लगाए जाने से पहले अनुपालन में सुधार करने का अवसर मिलेगा।



- **निजी सुरक्षा एजेंसी अधिनियम, 2005** के तहत, व्यावसायिक परिसर में लाइसेंस प्रदर्शित करने में विफल रहने पर पहले 25,000 रुपये तक का आपराधिक जुर्माना लगाया जाता था। इस प्रावधान को अब हटा दिया गया है, यह मानते हुए कि इस तरह की प्रक्रियात्मक चूक के परिणामस्वरूप छोटी सुरक्षा एजेंसियों के लिए आपराधिक दायित्व नहीं होना चाहिए।
- **पुस्तकों और समाचार पत्रों (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम** के तहत, पहले प्रतियां जमा करने में विफल रहने वाले प्रकाशकों को जुर्माना का सामना करना पड़ता था। इस सुधार के तहत अब चेतावनी प्रणाली लागू की गई है, जिससे छोटे प्रकाशकों को प्रक्रियात्मक विलंब के लिए असमान्य दंड से बचाव मिलेगा।
- **खान और खनिजों से संबंधित एमएमडीआर अधिनियम, 1957** के तहत: अधिनियम के तहत पहले बनाए गए उल्लंघन नियमों में दो साल तक की कैद या जुर्माना लगाया जा सकता था। यह सुधार कारावास की जगह ₹50 लाख तक का मौद्रिक जुर्माना लगाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि छोटे खनन और खनिज-आधारित उद्यमों को प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के लिए आपराधिक अभियोजन के बजाय आनुपातिक वित्तीय परिणामों का सामना करना पड़े।

इन उपायों के माध्यम से, विधेयक अनुपालन आवश्यकताओं को सरल बनाकर, नियामक अनिश्चितता को कम करके और स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करके एमएसएमई का समर्थन करता है, जबकि यह सुनिश्चित करता है कि गंभीर उल्लंघनों पर उचित दंड लगाया जाता रहे।

प्रमुख विधायी परिवर्तन: महत्वपूर्ण अधिनियमों में संशोधन

कई क्षेत्रों और नियामक क्षेत्रों को कवर करते हुए, **जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026** में आनुपातिक नागरिक दंड, चेतावनी या प्रशासनिक तंत्र के साथ कई केंद्रीय कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव है।

- **ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940** के तहत पहले कुछ दवाओं (आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाएं) के निर्माण या भंडारण स्थल का खुलासा न करने पर छह महीने तक की जेल और जुर्माना लगाया जाता था। इस संशोधन के तहत जेल की सजा को हटा कर अधिक उच्च मौद्रिक दंड लागू किया गया है।
- **दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957** के तहत कई प्रावधानों को भी तर्कसंगत बनाया गया है। पहले बिना लाइसेंस होकर भिक्षाटन, नगरपालिका अधिकारियों का अवरोध या कुछ स्वच्छता-संबंधी उल्लंघन जैसे छोटे नागरिक उल्लंघन आपराधिक जुर्माने के दायरे में आते थे। अब इन्हें नागरिक दंड में बदला गया है, जबकि कुछ पुराने और अप्रासंगिक प्रावधानों को पूरी तरह हटा दिया गया है।
- **अप्रेंटिस अधिनियम, 1961** के तहत भी सुधारों का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें प्रक्रियात्मक गैर-अनुपालन से संबंधित कई अपराधों के लिए **तीन-स्तरीय प्रवर्तन तंत्र** अपनाने का सुझाव है: पहली बार उल्लंघन पर सलाह (Advisory), दूसरी बार चेतावनी (Warning), और बार-बार होने वाले उल्लंघनों पर मौद्रिक दंड।

इसके अतिरिक्त, **कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985**, **रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन अधिनियम, 1950**, और **कैर उद्योग अधिनियम, 1953 (Coir Industry Act, 1953)** जैसे कानूनों में भी संशोधन का प्रस्ताव है, जिसमें छोटे प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के लिए जेल या आपराधिक जुर्माने को नागरिक दंड में बदल दिया गया है या पूरी तरह हटा दिया गया है।

निष्कर्ष

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026 भारत की नियामक प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए सरकार के प्रयास को जारी रखता है। आपराधिक दंड को हटाकर और चरणबद्ध प्रवर्तन तंत्र लागू करके, यह विधेयक कानूनों को अधिक व्यावहारिक और अनुपातिक बनाता है।

ये सुधार नागरिकों और व्यवसायों दोनों के लिए अनावश्यक अनुपालन बोझ को कम करते हैं। साथ ही, गंभीर उल्लंघनों पर उचित दंड लागू होते रहते हैं। इस प्रकार, यह विधेयक एक अधिक संतुलित और विश्वास-आधारित नियामक प्रणाली को बढ़ावा देता है, जो जीवन जीने की सहजता और व्यवसाय करने की आसानी दोनों का समर्थन करती है।

संदर्भ

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1945263®=3&lang=2>

पीआईबी शोध

पीके/केसी/केएल